न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 39 / 2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए

1 गुरविन्द्र सिह पुत्र सुखदर्शन सिह
2 कुलविन्द्र सिह पुत्र सुखदर्शन सिह
जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। वादीगण

बनाम

1 सुखदर्शन सिह पुत्र हरनेकसिह
2 सलविन्द्र सिह पुत्र हरनेक सिह
3 तरसेम सिह पुत्र सलविन्द्र सिह
4 तहसीलदार राजस्व संगरिया
समस्त जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

उपस्थित – 1. श्री सुरेन्द्र सिह सूच एडवोकेट (वादीगण)
2. श्री सुभाष कासनियॉ एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 3)

निर्णय

दिनांकः– 24.2.25

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 55 / 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। 2. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सांझा खाता में चक नं. 8 एम.जे.डी. के खाता स. 125 / 137 जं.सं. 2072–2075 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता की जमाबन्दी सलग्न वादपत्र हैं। उक्त खाता की कुल कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। चक का नाम 8 एम.जे.डी. खाता सं. 125 / 137 जमाबन्दी सम्वत् 2072–2072 रकबा 5.563 हैक्टेयर मय गैरमु 3. यह कि वादपत्र की चरण स. 2 में वर्णित भूमि जो वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने काफी समय पूर्व अच्छी मंदी अनुसार घरू–विभाजन कर लिया था मुताबिक धरू विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण का कोई विवाद नहीं है किन्तु रकबा साझा खाता में दर्ज होने के कारण सींव वट को लेकर व खाता अपवादित होने के कारण विवाद बना रहता है। मुताबिक घरू–विभाजन वादीगण अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं। मुताबिक धरूविभाजन वादीगण को निम्न भूमि आई है। वादी सं. 01 गुरविन्द्र सिंह 0.787 हैक्टे, 02 कुलविन्द्र सिंह 1.031 हैक्टे. पिसरान सुखदर्शन सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक नं. 8 एम.जे.डी. के खाता सं. 125 / 137 पं.नं. 149 / 186 55 किला नं. मुं.नं. 25 / 0.2538. 149 / 187 57 54 4 / 2 / 0. 1748..5 / 0.2538.. 150 / 186 11 / 1 / 0.1268.,18,19,20 / 0.253है.पं. 150 / 187 58 1 / 0.2538. कुल 1. 818 हैक्टे प्रतिवादी सं. 03 सुखदर्शन सिंह पुत्र हरनेक सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक नं. ४ एम.जे.डी. के खाता सं. 125 / 137 पं.नं. किला नं. 151 / 184 41 10,11 / 0.253है.पं. 150 / 184 42 6 / 1 / 0.2288,7,8 / 0.253 है. पं. 15 / 1 / 0.228है, कुल 1.468 हैक्टे प्रतिवादी सं. 02 सलविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह 1,350 हैक्टे, 03 तरसेम सिंह पुत्र सलविन्द्र सिंह 0.927 हैक्टे. हक व हिस्सा की भूमि चक नं. 8 एम.जे.डी. के खाता सं. 125 / 137 पं.नं. 150 / 179 11 किला नं. 150 / 180 18 24 / 0.2538 3 / 1 / 0.2408.3 / 2 / 0.0138.,4 / 1 / 0.24084 / 2 / 0.0138. 12,13,14,17,18,19 / 0.2538.पं.नं. 150 / 184 42 कुल 2.277 हैक्टे। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि जो वादीगण व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदी अनुसार घरू–विभाजन काफी समय पूर्व कर लिया था मुताबिक घरू विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इसी अनुसार वादीगण अपना खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। प्रतिवादी सं. 4 को लैण्ड होल्डर होने के पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता अपना राजीनामा पेश कर वाद को मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादीगण ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया तथा प्रकरण में राजीनामा पेश हो जाने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण ओर कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहते है, इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादी ने फार्म नं. 3 के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये :–

- चक 8 एमजेडी खाता संख्या 125/137 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबन्दी।
- चक 8 एमजेडी नामान्तरण संख्या 480 दिनांक 11.08.2014 की प्रमाणित प्रति।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक चक 8 एमजेडी खाता संख्या 125/137 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबन्दी में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादी आपस मे सहमत है और राजीनामा भी पेश हो चुका है तथा वादीगण/प्रतिवादीगण का आपस में कोई विरोध नहीं है। इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 8 एमजेडी खाता संख्या 125/137 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश कर अपने हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर रहे है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा भी पेश हो चुके है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है:–

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का पत्र पत्र डिग्री किया जाता है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण का खाता निम्ननुसार अलग कायम कर इसी अनुसार रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है:– चक 8 एमजेडी

1. वादी सं. 01 गुरविन्द्र सिंह 0.787 हैक्टे. 02 कुलविन्द्र सिंह 1.031 हैक्टे. पिसरान सुखदर्शन सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमि:–

प.न.	मु.न.	किला नं.
149/186	55	25/0.253
149/187	57	4/2/0.174, 5/0.253,
150/186	54	11/1/0.126, 18,19,20/0.253 है.प्र.
150/187	58	1/0.253

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. प्रतिवादी सं. 03 सुखदर्शन सिंह पुत्र हरनेक सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमिः–

प.न.	मु.न.	किला नं.
151/184	41	10,11/0.253 है.प्र.
150/184	42	6/1/0.228, 7,8/0.253 है.प्र. 15/1/0.228 है.

3. प्रतिवादी सं. 02 सलविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह 1.350 है. 03 तरसेम सिंह पुत्र सलविन्द्र सिंह 0.927 है. हक व हिस्सा की भूमिः–

प.न.	मु.न.	किला नं.
150/179	11	24/0.253 है.
150/180	18	3/1/0.240, 3/2/0.013, 4/1/0.240, 4/2/0.013,
150/184	42	12,13,14,17,,18,19/0.253 है.प्र.

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24.2.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 39/2026

1 गुरविन्द्र सिह पुत्र सुखदर्शन सिह
2 कुलविन्द्र सिह पुत्र सुखदर्शन सिह
जाति जटसिख निवासी चकप्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। वादीगण

बनाम

1 सुखदर्शन सिह पुत्र हरनेकसिह
2 सलविन्द्र सिह पुत्र हरनेक सिह
3 तरसेम सिह पुत्र सलविन्द्र सिह
4 तहसीलदार राजस्व संगरिया
समस्त जाति जटसिख निवासी चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुरेन्द्र सिह सूच वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री सुभाष कासनियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण एव प्रतिवादीगण का खाता इस डिक्री बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो निम्नानुसार अलग कायम कर इसी अनुसार रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते हैः– चक 8 एमजेडी

1. वादी सं. 01 गुरविन्द्र सिंह 0.787 हैक्टे. 02 कुलविन्द्र सिंह 1.031 हैक्टे. पिसरान सुखदर्शन सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमिः–

प.न.	मु.न.	किला नं.
149/186	55	25/0.253
149/187	57	4/2/0.174, 5/0.253,
150/186	54	11/1/0.126, 18,19,20/0.253 है.प्र.
150/187	58	1/0.253

2. प्रतिवादी सं. 03 सुखदर्शन सिंह पुत्र हरनेक सिंह के हक व हिस्सा की कृषि भूमिः–

प.न.	मु.न.	किला नं.
151/184	41	10,11/0.253 है.प्र.
150/184	42	6/1/0.228, 7,8/0.253 है.प्र. 15/1/0.228 है.

3. प्रतिवादी सं. 02 सलविन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह 1.350 है. 03 तरसेम सिंह पुत्र सलविन्द्र सिंह 0.927 है. हक व हिस्सा की भूमिः–

प.न.	मु.न.	किला नं.
150/179	11	24/0.253 है.
150/180	18	3/1/0.240, 3/2/0.013, 4/1/0.240, 4/2/0.013,
150/184	42	12,13,14,17,,18,19/0.253 है.प्र.

नोट :– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो बैक ऋण यथावत रहेगा।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत् X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.2.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया